

07/02

पत्रावली पत्रा दुये मूल वाड अर्धर मे खाकि
(किया जा चुका हो आता) इम प्रकार मे कोहि
कान्निवाची अर्धरिपित नथी रह गयी है आता
आपका की कान्निवाची इसी हाल पर
इसप की जाकर आपका खाकि किया
जाता हो तथा अन्तर्गत द्वारा जारी अर्धरिपित
निर्दिष्टाना डिग्रेड 23/अ/म की निरुत्तर
(किया जाता है) पत्रावली फाइल मे शुभकर
होकर मूल वाड संलग्न रहे

उपखण्ड अधिकारी
रायसहनगर

